विनियम क्रमांक - 25

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के गैर शिक्षक तथा गैर अधिकारी

कर्मचारियों हेतु पदोन्नति

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु विनियम का मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत चलाये गये परिनियम 31 की कण्डिका 4 में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार सृजन किया जाता है। ये विनियम विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा राज्य विश्वविद्यालय सेवा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत समस्त विभागों में इन्हें लागू माना जायेगा, बशर्ते कि अधिनियम, तथा तत्संबंधी परिनियमों अध्यादेशों में उल्लिखित प्रावधानों के प्रतिकूल न हों।

पदोन्नति हेतु प्रक्रिया :

1- विश्वविद्यालय चतुर्थ श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के समस्त पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति की सामान्यताया जुलाई माह में प्रकाशित करेगा।

2- विश्वविद्यालय वर्ष के सितम्बर माह तक जो भी रिक्तियां होंगी उन्हें पदोन्नति से भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रसतुत कर अनुशंसा प्राप्त कर पदोन्नति की कार्यवाही करेगा।

3- विभागीय पदोन्नति समिति का गठन विश्वविद्यालय के कुलपति व्दारा निम्नानुसार किया जावेगा।

1. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग का एक वरिष्ठ आचार्य अध्यक्ष
2. एक प्रशासनिक अधिकारी जो उपकुलसचिव के पद से निम्न न हो सदस्य
3. विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी सदस्य
4. एक विश्वविद्यालय अधिकारी जो अनुसूचित जाति, जनजाति या सदस्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी का

हो।

5. कुलपति जी व्दारा नाम निर्देशित एक अन्य व्यक्ति सदस्य

4- विश्वविद्यालय वर्ष में एक बार सामान्यतया अक्टूबर माह में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आमंत्रित करेगा। आवश्यकतानुसार कुलपति एक से अधिक बार भी इस बैठक को आमंत्रित करने का आदेश दे सकेंगे।

5- जितने पद वर्ष के माह सितम्बर तक रिक्त होंगे, उसके सामान्यतया पांच गुने तक अनुसूची एक में दर्शाये अनुसार कर्मचारियों की सूची वरिष्ठता/योग्यता क्रम में तैयार कर विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक संवर्ग में पदोन्नति हेतु उन कर्मचारियों को अवसर मिल सकेगा, जिन्होंने अपने कार्यरत पद पर कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिया है।

6- विचार क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर अनुसूची एक के अनुसार होगी। पदोन्नति समिति कर्मचारी की कार्य क्षमता का मूल्यांकन पिछले तीन वर्ष की चरित्रावली/गोपनीय प्रतिवेदन को ध्यान में रखकर पदोन्नति की सिपफारिश करेगी तथा क्रम निर्धारण करेगी। लिपिक वर्गीय पद पर पदोन्नति करते समय टंकण का अधिभार दिया जावेगा।

7- पदोन्नति करते समय तत्समय राज्य सरकार व्दारा लागू आरक्षण नियमों का पालन करना होगा। इसके लिये रोस्टर प्रणाली को लागू कर एक विधिवत उंपसजवरूरजिस्टर/अभिलेख रजिस्टर/ अभिलेख विश्वविद्यालय तैयार करेगा।

8- विभागीय पदोन्नति समिति पदोन्नति हेतु योग्य पाये गये उपयुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता तथा योग्यता के अनुसार सूची तैयार करेगी । इस सूची में रिक्त पद के सामान्यतया तीन गुने व्यक्तियों का नाम रखा जावेगा। यह पदोन्नति सूची एक वर्ष तक वैध रहेगी। एक वर्ष के बाद प्रकरण पुनः विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रिक्तियां होने की दशा में रखा जावेगा।

9- विश्वविद्यालय के कुलसचिव अनिवार्य रूपसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियें की गोपनीय चरित्रावली सक्षम अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की स्थिति को लिखाकर प्रति हस्ताक्षरित करवाकर अपने पास सीलबंद लिपफापफे में प्राप्त करेंगे। यदि कर्मचारी के विरूध्द कोई विपरीत टिप्पणी की गई है तो उसे उस कर्मचारी को सूचित किया जावे तथा स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उचित निर्णय यदि संतोषजनक उत्तर है तो दिनांक 31 जुलाई तक कुलपति उस टिप्पणी को कुलसचिव की अनुशंसा पर विलोपित कर सकेंगे।

10- गोपनीय प्रतिवेदन/चरित्रावली बिल्कुल स्पष्ट तथा कर्मचारी के कार्य व्यवहार आचरण तथा अनुशासन का मूल्यांकन कर ही अंकित की जायेगी तथा उल्लिखित ग्रेड में स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त की जायेगी। कर्मचारी को प्रदत्त ग्रेड तथा वरिष्ठता को ध्यान में रखकर पदोन्नति की अनुशंसा करेगी तथा क्रम का निर्धारण भी करेगी।

11- गोपनीय चरित्रावली में स्पष्ट रूप से असाधारण/विलक्षण कार्य करने वाले, बहुत अच्छा कार्य करने वाले, अच्छा कार्य करने वाले, साधारण/सामान्य कार्य करने वाले तथा घटिया कार्य करने वाले कर्मचारियों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावे :-

वर्गीकरण	ग्रेड	समतुल्य अंक
असाधारण/विलक्षण	ए ़	10
बहुत अच्छा	ए	8
अच्छा	बी	6
सामान्य	सी	4
घटिया	डी	2

विगत तीन वर्षो की चरित्रावली के ग्रेड के समतुल्य अंकों का योग 12 से कम होने पर पदोन्नति की पात्रता नहीं होगी। इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर पदोन्नति की पात्रता हो सकेगी।

12- यदि पदोन्नति समिति यह समझती है कि कोई कनिष्ठ कर्मचारी विशेष रूप से योग्य तथा उपयुक्त पाया जाता है तो उसका नाम वरिष्ठ कर्मचारी की तुलना में सूची में उच्च स्तर पर रखा जा सकेगा, परन्तु पदोन्नति समिति को ऐसा करने के लिये युक्ति युक्त कारण अभिलिखित करना होगा।

13- यदि किसी वरिष्ठ कर्मचारी को अतिक्रमित कर पदोन्नति की अनुशंसा की गई है तो विश्वविद्यालय के कुलपति प्रकरण का पुनार्वलोकन/पुनरीक्षण कर सकेंगे।

14- यदि पदोन्नति समिति व्दारा अनुशंसित पदोन्नति सूची में शामिल कर्मचारी अपने कर्तव्योकं के पालन में असावधानी/अनुशासनहीनता करता है तो विश्वविद्यालय के कुलपति इस अन्तराल में उस व्यक्ति का नाम चयन सूची से विलोपित कर सकेंगे।

15- यदि कुलपति किसी भी प्रकार के तथ्य से आश्वस्त हो जायें कि पदोन्नति समिति व्दारा की गई सिपफारिश विश्वविद्यालय के हित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है तो पुनर्विचार हेतु पदोन्नति समिति को पुनः प्रकरण विचारार्थ भेजेंगे। पदोन्नति समिति के पुनर्विचार के पश्चात् कुलपति व्दारा लिया निर्णय अंतिम होगा।

16- यदि कोई कर्मचारी, की गई पदोन्नति के पफलस्वरूप उत्पीड़ित महसूस कर रहा है तो कुलपति को अपनी अपील पन्द्रह दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है । कुलपति व्दारा अपील में लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

अनुसूची - एक

तृतीय श्रेणी

क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जायेगी	पदोन्नति के लिये अर्हतायें
1	2	3	4
1.	वरिष्ठ अधीक्षक ँविभागीय अधिकारी—	कनिष्ठ अधीक्षक ँअधीक्षक— या उसके समतुल्य पद	कालम 3 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का न्यूनतम अनुभव।
2.	कनिष्ठ अधीक्षक उ.श्रे.लि. ँअधीक्षक—	वर्ग- स्टेनोग्रापफर या इसके समतुल्य लिपिकीय वर्ग	कालम 3 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव
3.	उ.श्रे.लि. वर्ग -1	उ.श्रे.लि. वर्ग-2 या इसके समतुल्यलिपकीय वर्ग	कालम 3 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव

4.	उ.श्रे.लि. वर्ग - 2	निम्न श्रेणी लिपिक/टंकणक पद	कालम 3 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव एवं टंकणक का प्रमाण पत्र।

उपरोक्तानुसार कालम दो में दर्शाये गये पदों पर कालम तीन में दर्शाये गये पदों से पदोन्नति का कोटा शत प्रतिशत होगा, किन्तु पदोन्नति के लिये म0प्र0 शासन के नियमानुसार आरक्षण के साथ रोस्टर प्रणाली के अनुसार दिया जायेगा।

चतुर्थ श्रेणी

1.	निम्न श्रेणी लिपिक	दफ्तरी, लाइब्रेरी अटेन्डेन्ट, लिफ्टर, हैड भृत्य,/हेड माली जमादार, चौकीदार, भृत्य, अर्दली माली, पफर्राश, स्वीपर, पम्प अटेन्डेन्ट विद्युत अटेन्डेन्ट	बुक न्यूतम योग्यतायें हायर सेकेण्ड्री एवं शासकीय नियमानुसार टंकण हिन्दी अथवा अंग्रेजी। यदि टंकण का ज्ञान नहीं है तो योग्यता के आधार पर पदोन्नति से दो वर्ष के अंदर टंकण ज्ञान आवश्यक है ।

नोट -

1. निम्न श्रेणी लिपिक पद पर 25 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से पदोन्नति की जायेगी, तथा 25 प्रतिशत पद दैनिक वेतन पर कार्यरत निम्न श्रेणी लिपिकों से नियमितीकरण से भरे जायेंगे। शेष 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से खुली प्रतियोगिता व्दारा भरे जायेंगे। पदोन्नति/नियमितीकरण से नियुक्ति तथा सीधी भर्ती से नियुक्त मध्यप्रदेश शासन व्दारा तत्समय लागू आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

2. विश्वविद्यालय के अन्य तकनीकी पदों सहायक सांख्यिकी अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, शोध सहायक, कम्प्यूटर आपरेटर, टेक्नीशियन, ए.बी.बी.डी.ई., स्टेनोग्रापफर क्यूरेटर, डाकूमेन्टेशन असिस्टेन्ट, प्रयोगशाला सहायक, कुलपति जी के सचिव, इलेक्ट्रिशियन, पुस्तकालय सहायक, मशीन आपरेटर, कैटलागर, तकनीकी सहायक पुस्तकालय, खानसामा, ड्रायवर, मिस्त्री, प्लम्बर, पम्प अटेन्डेन्ट, कारपेन्टर, सुरक्षा गार्ड, इन पदों को सीधी भर्ती से खुली प्रतियोगिता से भरा जायेगा।

3. अनुसूची 1 से किसी उच्च पद पर जो परिनियम 20 में प्रावधित नहीं है, किन्तु सक्षम प्राधिकारी व्दारा प्रावधानानुसार सृजित किये गये हों, उन्हें सीधी भरती से खुली प्रतियोगिता से भरा जायेगा।

4. विश्वविद्यालय निर्माण विभाग में सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं ड्रापफ्टमैन आदि पदों पर पदोन्नति या भर्ती लोक निर्माण विभाग, म0प्र0 शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार की जावेगी।

5. विश्वविद्यालय में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों के प्रकरण जिनमें पूरी सेवाकाल में पदोन्नति के कोई अवसर नहीं है, उनके अनुभव व योग्यता को ध्यान में रखते हुये उसी पद पर रखते हुये शासकीय नियमों के अनुसार क्रमोन्नति वेतनमान जो प्राप्त वेतनमान से उच्च श्रेणी का हो प्रदान किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान प्राप्त करने हेतु पात्रता 20 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर ही होगी।

6. विश्वविद्यालय में पदस्थ भृत्य/चौकीदार जिनकी सेवा अवधि 20 वर्ष से उफपर है तथा सेवा अभिलेख अच्छा है तथा पदोन्नति का कोई अवसर/संभावना नहीं है, उनको परिनियम 31 की परिशिष्ट में दिये गये उच्च पद हेतु भृत्य का वेतनमान प्रदान किया जा सकता है, परन्तु ऐसे उच्च वेतनमान में क्रमोन्नति कुल चौकीदार/भृत्य की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक न होगी। इसी अनुक्रम में माली की क्रमोन्नति हेड माली में की जा सकेगी।

7. जो कर्मचारी अपने पद पर लंबे समय से पदस्थ हैं, पदोन्नति प्राप्त न होने से पर उन्हें दो वर्ष के अन्तराल में वेतन वृध्दि शासन के नियमानुसार देय होगी।